विविध **बैंक प्रकरण संख्या 138/2019(GCMS : 2019/00244) बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय 67 सी ब्लॉक श्रीगंगानगर – 335001 (राजस्थान) बनाम 1. मैसर्स सिंगला सेल्स एजेंसी प्रो. श्री दीनदयाल गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मण दास निवासी 94–ए पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर 2. प्रमोद कुमार गुपता पुत्र श्री लक्ष्मण दास निवासी मकान नं. 526 खेत्रपाल मंदिर के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3.दीन दयाल गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मण दास निवासी मकान नं. 1022 वार्ड नं. 38, सब्जी मंडी के पास, श्रीगंगानगर 3.बृजमोहन गुप्ता पुत्र लक्ष्मण दास निवासी ताराचंद वाटिका के पास वार्ड नं. 13, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री समीर यादव प्राधिकृत कार्यकर्त्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स सिंगला सेल्स एजेन्सी – प्रो. दीनदयाल गुप्ता, प्रमोद कुमार, दीन दयाल गुप्ता, बृजमोहन गुप्ता द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में प्रार्थी बृजमोहन, दीन दयाल एवं प्रमोद कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति Commercial Shop No. 80 (size 11'X70') (Southern Part) situated at Purani Dhan Mandi, Sri Ganganagar का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत किया हुआ है और और **अब इस प्रकरण में अप्रार्थीगण ने ऋण राशि जमा करवा दी है इसलिए अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं अर्थात नाट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण को इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ऑफ

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बड़ौदा, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स सिंगला सेल्स एजेन्सी – प्रो. दीनदयाल गुप्ता, प्रमोद कुमार, दीन दयाल गुप्ता, बृजमोहन गुप्ता के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बृजमोहन, दीन दयाल एवं प्रमोद कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति Commercial Shop No. 80 (size 11'X70') (Southern Part) situated at Purani Dhan Mandi, Sri Ganganagar का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट (नॉटप्रैस) भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 23.10.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर